(12)

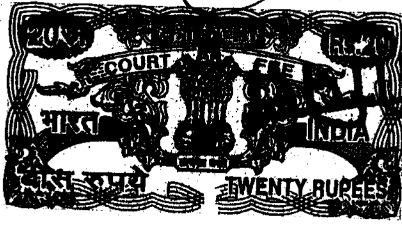

[redacted]

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. / /2017 रिव्यू R 1221-II-17

श्री लखन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 24/04/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-4-17
... म.प्र. ग्वालियर

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
24.04.17

1– महाराजसिंह पुत्र श्री फेलूराम

2– श्रीनिवास सिंह रावत

3– रामनिवास रावत

4– गोटेसिंह रावत

5– दिनेश रावत पुत्रगण रामसिंह रावत

निवासीगण ग्राम लीलदा, तहसील वीरपुर,
जिला श्योपुर म.प्र. .... आवेदकगण

बनाम

1– मिश्री जाटव 2– गनेश

3– रामरतन 4– नारायण

5– लेखा 6– सुमित्रा

7– रामश्री पुत्र/पुत्रीगण श्यामा जाटव
निवासीगण ग्राम मोहनपुर, तहसील वीरपुर,
जिला श्योपुर म.प्र.

.... आनावेदकगण

रिव्यू आवेदन पत्र अर्तगत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र. क. 1080/दो/17 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.04.17 के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से रिव्यू आवेदन निम्नानुसार प्रषित है :–

–:प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 6 रकवा 1.05 हैक्टेयर, सर्वे क.17 रकवा 1.12 हैक्टेयर, सर्वे क. 8 रकवा 0.55 हैक्टेयर, सर्वे क.13 रकवा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकवा 3.03 हैक्टेयर जो ग्राम वीरपुर, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर में स्थित है। जो पटवारी अभिलेख में अनावेदकगण के नाम दर्ज है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 03.10.11 को अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण के हित में संपादित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1221–दो/17 जिला–श्योपुर

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–05–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित होकर रिव्यु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक निगरानी 1080–दो/17 में पारित आदेश दिनांक 17.4.17 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सरांश यह है कि कुल किता 4 कुल रकवा 3.03 है0 जो ग्राम वीरपुर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में स्थित है। जो पटवारी अभिलेख में अनावेदकगण के नाम दर्ज है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनुबंध पत्र दिनांक 3.10.2011 को अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण के हित में संपादित किया गया था उसी समय मौके पर कब्जा सोंप दिया था तभी से आवेदकगण उक्त भूमि पर काबिज होकर निरंतर खेती करते चले आ रहे हैं। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कब्जा अंकित कराने हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश किया गया जिसे विधिवत आदेश पारित करते हुये दिनांक 22.4.14 को कब्जा इंद्राज किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश	

के विरूद्व विरूद्व अनावेदकगण द्वारा समय वाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जिसे आदेश दिनांक 16.12.14 को आदेश कर दिया गया जिसके विरूद्व अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील में आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 एवं 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अनावेदकगण के साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जावे अन्यथा यह प्रश्न प्रकरण में हमेशा बना रहेगा। अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 एवं 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया जो अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा दिनांक 22.3.17 को यह कहते हुये निरस्त कर दिया गया है कि न्यायालयों के नियमों का अवलोकन कर ही निराकरण किया जावेगा। इससे से परिवेदित होकर यह निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की थी लेकिन निगरानी में आवेदक का साक्ष्य मानकर निगरानी निरस्त की गई है जबकि अनावेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत की थी इसी से दुखित होकर यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि कुल किता 4 कुल रकवा 3.03 है0 जो ग्राम वीरपुर तहसील वीरपुर

जिला श्योपुर में स्थित है। जो पटवारी अभिलेख में अनावेदकगण के नाम दर्ज है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विकय अनुबंध पत्र दिनांक 3.10.2011 को अनावेदकगण के द्वारा आवेदकगण के हित में संपादित किया गया था तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.4.14 को कब्जा इंद्राज किये जाने का आदेश दिया गया उसी के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा अपने आदेश के अंतिम पेज के प्रथम पैरा में मान्य किया है कि अनावेदक मिश्री आदि को तहसील न्यायालय में न तो साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया ओर नाही प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है। इसलिये अपर आयुक्त न्यायालय में अपील में आवेदकगण की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 49 एवं 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अनावेदकगण के साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जावे अन्यथा यह प्रश्न प्रकरण में हमेशा बना रहेगा। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय में साक्ष्य लेने की अधिकारिता है।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आदेश पत्रिका दिनांक 22.3.17 में स्पष्ट किया गया कि न्यायालय के नियमों का अवलोकन कर ही निराकरण किया जावेगा। यानि

आवेदकगण को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के अंतिम आदेश पारित होने तक इंतजार करना था लेकिन उनके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी जल्दवाजी में प्रसतुत की गई है।

5— आवेदकगण की यह तर्क मानने योग्य है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अनावेदकगण के प्रश्न के संबंध में दिया गया जिसमें साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने का अनुरोध किया था। अतः आवेदकगण का रिव्यु आवेदन पत्र के आधार का **"बी"** पैरा मान्य करते हुये रिव्यु आवेदन पर निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य